

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद  
(अभियन्त्रण अनुभाग)

104, महात्मा गान्धी मार्ग, लखनऊ

/ ए-2 / 336

दिनांक

संख्या

कार्यालय आदेश

अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, मेरठ द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर अधीक्षक (प्र०) के अनुमोदन दिनांक 18.11.2013 के क्रम में निम्नलिखित कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद्वारा निम्नानुसार प्रदान की जाती है:-

क्र०सं० परियोजना आई०डी०नं०	योजना/परियोजना का नाम	परियोजना की लागत (रु० लाख में)	लेखा शीर्षक एवं वित्त सं०
1-	046035 जागृति विहार (विस्तार) योजना सं०-11, मेरठ में स्व वित्त पोषित योजना-2012 के अन्तर्गत प्रस्तावित एफ-64 प्रकार के 160 नम (जी+3) भवनों का निर्माण कार्य।	1526.56	101/34

- 1- उक्त कार्य मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार कराया जायेगा।
- 2- कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रारम्भ कराया जायेगा।
- 3- प्रशासनिक स्वीकृति से लेकर कार्य पूर्ण होने की स्थिति तक उक्त प्रोजेक्ट आई०डी० नम्बर के साथ ही संदर्भित किये जायेंगे।
- 4- प्रश्नगत कार्य प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त 18 माह में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।
- 5- विस्तृत प्राक्कलन में ली गयी दरों को आधार न माना जाय। प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करते हुए कार्य कराया जाय।
- 6- निविदा आदि की कार्यवाही के उपरान्त वास्तविक लागत के अनुसार व्यय की अनुमति अलग से प्राप्त करनी होगी।
- 7- आवास आयुक्त (प्र०) के निर्देशान्तर्गत उक्त कार्य में निर्धारित नियमों एवं प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 8- प्रश्नगत कार्य के वित्त पोषण का स्रोत परिषद फण्ड है।

(डी०के०त्यागी)

अधीक्षण अभियन्ता (प्र०)

पृ०सं०: 4420 / उक्त / 336

दिनांक

20.11.2013

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, आवास आयुक्त/अपर आवास आयुक्त एवं सचिव/मुख्य अभियन्ता, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
2. मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, इन्दिरा नगर लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
4. अधीक्षण अभियन्ता (प्रोजेक्ट)/द्वितीय वृत्त, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ/मेरठ।
5. अधिशासी अभियन्ता(नि-1)/निर्माण खण्ड-8, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ/मेरठ।
6. मूल्यांकन/सम्परीक्षण अधिकारी, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
7. वरिष्ठ स्टाफ आफिसर, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल हेतु।

अधीक्षण अभियन्ता (प्र०)